

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई०ए०एस०

राजस्व अपील सं. 47/2018

अपीलार्थी—

रायचंद्रराम पुत्र शिवजीराम
जाति मेघवाल निवासी दरूडा
तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोंडेंट —

राजस्थान राज्य जरिये
नायब तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज० भू-राजस्व अधिनियम, 1956
विरुद्ध आदेश दिनांक 20.03.2018 जो प्रकरण सं. 63/2017 सरकार
बनाम रायचंद्र में नायब तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री गणेश कुमार, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री रतनाराम चौधरी, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोंडेंट की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 04/01/2021

1. अपीलार्थी की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत रेस्पोंडेंट नायब तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा प्रकरण सं. 63/2017 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2018 के विरुद्ध पेश की गई हैं।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का मारूडी ने दिनांक 04.10.2017 को धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत एक रिपोर्ट नायब तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दरूडा के खसरा नम्बर 390/264 रकबा 58-02 बीघा गैर मुमकीन आगोर की भूमि में से 00-03 बीघा भूमि पर गैर सायल रायचंद्र द्वारा अतिक्रमण कर मकान निर्माण द्वारा कब्जा किया गया, जिनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। इस पर रेस्पोंडेंट नायब तहसीलदार बाड़मेर द्वारा गैर सायलान को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया तथा मौका




जिला कलक्टर
बाड़मेर

कब्जा की भौतिक स्थिति की रिपोर्ट के आधार पर गैर सायल (अपीलांट) को गैर मुमकीन आगोर की भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2018 पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.10.2018 को प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. अपीलार्थी की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन रिकॉर्ड मंगवाया जाकर अवलोकन किया।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा दरूडा की सकल आबादी विवादित भूमि पर बसी हुई है जो पीढियों से अपीलार्थी का आवासीय मकान बना हुआ है, जिसमें अपीलार्थी का परिवार पिछले 40 वर्षों से निवास कर रहा है। अपीलांट द्वारा वर्तमान में कोई नया कब्जा नहीं किया गया है। अपीलांट के पुराने कब्जा के आधार पर मकान का पट्टा जारी करवाने हेतु अपीलांट के पिता के नाम से ग्राम पंचायत मारूडी में आवेदन पेश किया गया जिसके संलग्न प्रार्थना-पत्र शुल्क, निरीक्षण शुल्क, नक्शा शुल्क इत्यादि जमा कर रसीदें प्रस्तुत की गईं। इस प्रकार अपीलांट का विवादित भूमि पर पुराना कब्जा है एवं इसे आबादी में परिवर्तन कर पट्टा जारी करने हेतु प्रक्रिया ग्राम पंचायत स्तर पर लंबित है। अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उक्त प्रकरण का निस्तारण करने से पूर्व किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य या मौखिक साक्ष्य को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है तथा मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश पारित होने की जानकारी अपीलार्थी को तत्समय नहीं हुई तथा जब हल्का पटवारी द्वारा अपीलार्थी के आवासीय मकान को गिराने की धमकी दी तब तहसील



जिला कलेक्टर
बाडमेर

कार्यालय बाड़मेर जाकर अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की गई तथा प्रतिलिपि प्राप्त होने तथा जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की जा रही है जो उल्लेखित तथ्यों के आधार पर स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

5. रेस्पोंडेंट नायब तहसीलदार बाड़मेर की ओर से राजकीय अभिभाषक ने प्रकट किया कि अपीलार्थी के द्वारा ग्राम दरूडा के खसरा नम्बर 390/264 रकबा 58-02 बीघा गैर मुमकीन आगोर की प्रतिबन्धित किस्म की भूमि में से 00-03 बीघा पर अतिक्रमण कर आवासीय मकान निर्माण किये जाने पर हल्का पटवारी मारूडी की रिपोर्ट पर अतिक्रमण को हटाने हेतु अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जो किसी भी दशा में गैर कानूनी एवं विधि विरुद्ध नहीं है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बाद उसकी ओर से अधिवक्ता की उपस्थिति में विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है। इस आदेश में किसी प्रकार की कोई कानूनी या वाक्याती भूल नहीं होने एवं प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है जो खारिज फरमाई जावें।

6. हमने दोनों पक्षों द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि पटवारी हल्का मारूडी ने दिनांक 04.10.2017 को धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत एक रिपोर्ट नायब तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दरूडा के खसरा नम्बर 390/264 रकबा 58-02 गैर मुमकीन आगोर की भूमि में से 00-03 बीघा भूमि पर गैर सायल रायचंद्र द्वारा अतिक्रमण कर मकान निर्माण द्वारा कब्जा किया गया, जिनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। इस पर रेस्पोंडेंट नायब तहसीलदार बाड़मेर द्वारा गैर सायल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया तथा दोनों पक्षों की सुनवाई एवं मौका कब्जा की भौतिक स्थिति की रिपोर्ट के आधार पर गैर सायल (अपीलांत) को गैर मुमकीन आगोर की भूमि पर अतिक्रमण




जिला कलेक्टर
बाड़मेर

करने के कारण अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का अपीलार्थी आदेश दिनांक 20.03.2018 पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य आधार यह है कि अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा बिना साक्ष्य सबूत रिकॉर्ड पर लिये ही बेदखली का आदेश पारित किया गया है जबकि अपीलार्थी का परिवार 40 वर्षों से निवास कर रहा है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट मात्र के आधार पर ही अपीलार्थी को अतिक्रमी मान लिया गया है तथा बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हल्का पटवारी की रिपोर्ट के संलग्न न तो विवादित भूमि की जमाबंदी की प्रतिलिपि संलग्न की गई है और न ही नक्शा मौका पेश किया गया है जिससे यह साबित हो कि अपीलार्थी का कब्जा किस लोकेशन में एवं खसरा में आया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये हैं किन्तु उन्हें जवाब का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी मौके की वस्तुस्थिति के बारे में भी कोई जांच या रिपोर्ट नहीं ली गई है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि उनका पीढ़ियों से इस भूमि पर निवास है तथा मुतनाजा कब्जा नया नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थी के आवासीय कब्जा की अवस्थिति के बारे में भूमि की पैमाईश कर ग्राम की आबादी भूमि का सीमाज्ञान करने के बाद मौके पर अपीलार्थी के कब्जे के बारे में पूर्ण रूप से सुनिश्चितता करने के बाद बेदखली का आदेश पारित किया जाना चाहिए। इस अपील के विचारण के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया गया कि विवादित भूमि ग्राम पंचायत द्वारा आबादी हेतु प्रस्तावित कर रखी है एवं भूमि की किस्म गैर मुमकिन आगोर नहीं है। ऐसे में बिना पैमाईश किये, मौके पर अतिक्रमण की अवस्थिति राजस्व नजरी नक्शे में दर्शाये एवं अपीलार्थी को साक्ष्य-सबूत एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अतिक्रमी मानकर बेदखल करने का आदेश




जिला कलक्टर
बाड़मेर

विधि सम्मत नहीं होने से, अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2018 को बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2018 आपास्त किया गया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मौके पर पैमाईश करते हुए अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के बाद विधि सम्मत आदेश नये सिरे से पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर